तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	9112 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 29/1/21 को पेश हों।
29.1.21	पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप०। बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय 02.02.21 को पेश हो।
02-02-2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। अनेक अवसर दिये जाने के बाद प्रतिवादीगण की जबाबदेही पूर्व में बन्द की जा चुकी है। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया कि टी.आई. कन्फर्म की जावे। बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी खातेदार दर्ज है तथा अप्रार्थी का इस भूमि से रिकार्ड अनुसार कोई सरोकार नही है। अप्रार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु अनेक अवसर दिये जाने के पश्चात भी पक्ष प्रस्तुत नही किया है। प्रकरण में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये पूर्व में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 13.09.2018 को तादौराने वाद कन्फर्म किया जाना उचित समझता हूँ।
	आदेश
	उक्त विवेचन के आधार पर राजस्व ग्राम भीतरली गांवडी तहसील नीमकाथाना स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 183, 195, 196 के [illegible] पूर्व पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] दिनांक 13.09.2018 को तादौराने [illegible] पत्रावली फैसल शुमार [illegible] मूल वाद के साथ संलग्न रहे।
	निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।
	(बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.26 14:49:56 IST
Reason: SelfAttested